प्रो. पी.पी. दूबे
प्रभारी अध्ययन केन्द्र

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
प्रयागराज–211021

फोन नं. : 7525048005
7525048133
Email – inchargesc@uprtou.ac.in

पत्रांक : ओ.यू./प्र.अ./1103 /2022

दिनाँक : 25/06/2022

सेवा में,

जेल अधीक्षक,
जिला कारागार,
कानपुर नगर

अध्ययन केन्द्र कोड : **S-2016**
(पत्र व्यवहार में सदैव लिखा जाय)

विषय : सत्र जुलाई–2022 से उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कहने का निर्देश हुआ है कि मा० कुलपति जी ने उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06–02–2020 में लिये गये निर्णय (कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 108.09) के क्रियान्वयन में आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं उप महानिरीक्षक (मु०), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के बीच हुए सहमति–पत्र (संलग्नक–1) में उल्लिखित शर्तो के आधीन आपके कारागार में विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान की है।

आपके विशेष अध्ययन केन्द्र पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के संचालन की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है :–

****BA(Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Philosophy, Sociology, Pol.Science, Economics), MA(Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Philosophy, Sociology, Pol.Science, Economics), PGDEA, PGDVGCC, PGDDE, PGDBSPS, PGDBSD, PGDT, PGDFH, PGDCWH, PGDST, PGDGSW, PGDYO, DYS, DRD, DVM, DIU, CES, CAC, CWED, CCY, CGST, CPHT&VA, CCMAP, CLPS, CPIG, COF, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CWWT, CNSD, CASC, CCTT, CFD, CTD, CVM, APCNF, APCCN, APY, APPR, APDF, APGG, APKD, APAY, APAM.*****

भवदीय

(प्रो. पी.पी. दुबे)
प्रभारी अध्ययन केन्द्र

पत्रांक संख्या : ओ०यू०/प्र०अ०/1103 (i)/2022 तद्दिनांक : 25/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी, पाठ्य सामग्री अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. प्रभारी, प्रवेश अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. प्रभारी, मीडिया सेल, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक, सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र (ई–मेल के माध्यम से)।
8. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

Anand

(डॉ. आनन्दा नन्द त्रिपाठी)
सह प्रभारी अध्ययन केन्द्र

सहमति–पत्र (MOU) संलग्नक-1

उ. प्र. के कारागारों में विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहमति–पत्र

- उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शान्तिपुरम् सेक्टर–एफ फाफामऊ, प्रयागराज – **प्रथम पक्ष**
- आई0 जी0/डी0जी0, मुख्य कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0 प्र0, आलमबाग, लखनऊ –**द्वितीय पक्ष**

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज अपने शैक्षिक दायित्वों के साथ–साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया शैक्षिक संस्थाओ को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिये प्रेरित करती रही हैं। अतः माननीय कुलाधिपति जी की अपेक्षा के अनुक्रम में विश्वविद्यालय ने प्रदेश के कारागारों एवं प्रदेश की सीमा के अन्दर स्थित केन्द्रीय कारागारों में अपना विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित करनें तथा उनमें बन्द सजायफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों (प्रयोगात्मक कार्यक्रम को छोडकर) में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करनें का निर्णय किया है।

इस सन्दर्भ में उक्त दोनो पक्षो के बीच सहमति पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

1. विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रत्येक जिले में अवस्थित कारागारों में सजायफ्ता कैदियों के लिए अपना एक विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित करेगा, जिसका संचालन उस क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।
2. कारागार प्रशासन अध्ययन–अध्यापन तथा अन्य व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ऐसे प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर एक नोडल अधिकारी /समन्वयक मनोनीत करेगा जो सहायक अधीक्षक या समकक्ष स्तर से निम्नतम श्रेणी का नही होगा। उक्त नियुक्ति का अनुमोदन मा. कुलपति जी से कराना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश सत्र् प्रारंभ होने से पूर्व ऐसे प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के नोडल अधिकारी अपने यहां से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक शिक्षार्थियों के साथ विश्वविद्यालय की सहमति से "प्रवेश पूर्व परामर्श सत्र" का आयोजन कराने की व्यवस्था करेंगे।
4. प्रत्येक नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकारियों/कर्मचारियों के समन्वय से अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों का सुव्यवस्थित रुप से संचालन कराने की व्यवस्था करेंगे।
5. प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन/क्षेत्रीय केंद्र से प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियो हेतु अध्ययन सामग्री मंगवाने और उसे सम्बंधित शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
6. विश्वविद्यालय के जिन कार्यक्रमों (कोर्सेज) में अधिन्यास लिखकर जमा करने की व्यवस्था है, नोडल अधिकारी उन कार्यक्रमों से संबंधित अधिन्यास प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त कर उसे सम्बंधित शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने एवं उन्हे लिखने हेतु निर्धारित पुस्तिका आदि प्राप्त करनें में सहायोग करेंगे। साथ ही लिखी हुई अधिन्यास पुस्तिकायें सम्बंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कराने की व्यवस्था भी करेंगे।